पटना में दिनांक–27 अप्रैल, 2017 वृहस्पतिवार को पूर्वाह्न 11:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

शिक्षा विभाग

1.	माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा एल०पी०ए० **संख्या–1489/2011 एवं सिविल रिव्यू संख्या–344/** 2016 तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा एस०एल०पी० संख्या–32079/2015 में पारित आदेश के अनुपालन में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत भूतपूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों को शिक्षा विभाग सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अधीन समुह–'घ' के विधिवत स्वीकृत एवं रिक्त पदों के विरूद्ध नयी नियुक्ति के माध्यम से समायोजित करने के संबंध में।	1.	**स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

2.	बिहार राज्य विधि सेवा प्राधिकार, पटना में सहायक निबंधक के रूप में दो (02) सिविल न्यायाधीश (कनीय कोटि) के पदसृजन की स्वीकृति के संबंध में।	2.	**स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

3.	माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में सेवा से बर्खास्तगी एवं निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं का दंड संसूचन संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक–2765, दिनांक–21.02.2012 को निरस्त करते हुए मो० शमीम अख्तर (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 575/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, पलासी, अररिया सम्प्रति सेवा से बर्खास्त को सेवा में पुनःस्थापित किये जाने के संबंध में।	3.	**स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

4.	बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के लिए विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०–3983, दिनांक–03.05.2010 एवं 8487 दिनांक–30.08.2010 के द्वारा अस्थायी रूप से सृजित तथा स्वीकृत्यादेश सं०–14187 दिनांक–30.08.2013 के द्वारा दिनांक–01.04.2013 के प्रभाव से अगले तीन वर्षो के लिए अवधि विस्तारित कुल 432 पदों में से मूल कोटि के पे बैंड 9300–34800 ग्रेड पे–5400/–में विशेष कार्य पदाधिकारी के 30(तीस) अस्थायी पदों के दिनांक–01.04.2016 के प्रभाव से अगले तीन वर्षों के लिए अवधि विस्तार के संबंध में।	4.	**स्वीकृत।**

वित्त विभाग

5. पुनरीक्षण–पूर्व वेतनमान अर्थात् षष्ठम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01.01.2017 के प्रभाव से 132 प्रतिशत के स्थान पर 136 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में। — 5. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

6. पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार अपुनरीक्षित वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता/राहत की दरों में दिनांक–01.07.2016 एवं 01.01.2017 के प्रभाव से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति। — 6. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

7. बिहार राज्य के डिग्रीधारी फिजियोथेरॉपिस्ट एवं अकुपेशनल थेरॉपिस्ट (शिक्षण संवर्ग सहित) की सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 67 वर्ष किए जाने के संबंध में। — 7. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

8. बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी काय, जो 350 करोड़ रूपये है, को 30 मार्च, 2018 तक के लिए अस्थायी रूप से बढ़ाकर 6403.42 करोड़ रूपये करने के संबंध में। — 8. **स्वीकृत।**

नगर विकास एवं आवास विभाग

9. बिहार भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) नियमावली, 2017 की स्वीकृति के संबंध में। — 9. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

10. वैशाली जिलान्तर्गत बिदूपुर अंचल के ग्राम श्यामपुर उर्फ मंसुरपुर के थाना संख्या–264, खाता सं०–376, खेसरा सं०–30, 31, 32, 34, 35, 36 एवं 37, रकवा कुल–7.50 एकड़ किस्म भीठ–I बिहार सरकार बीज गुणन क्षेत्र वैशाली की भूमि अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार को अन्तर्विभागीय निःशुल्क भू–हस्तान्तरण के संबंध में। — 10. **स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

11.	वैशाली जिलान्तर्गत राघोपुर अंचल के मौजा–मल्लिकपुर, थाना सं०–392, खाता सं०–92, खेसरा सं०–27, रकबा–50 डिसमिल गैरमजरूआ बिहार सरकार भूमि 17000/–रू० प्रति डिसमिल के हिसाब से 8,50,000/–(आठ लाख पचास हजार) रू० सलामी एवं सलामी के पांच प्रतिशत का पच्चीस गुणा अर्थात 10,62,500/–(दस लाख बासठ हजार पांच सौ) रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 19,12,500/–(उन्नीस लाख बारह हजार पांच सौ) रू० के भुगतान पर 33/11 के०भी० विद्युत शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड, पटना को स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	11.	स्वीकृत।

लघु जल संसाधन विभाग

12.	लघु जल संसाधन विभाग, बिहार अंतर्गत सभी प्रकार के राजकीय नलकूपों का संचालन एवं रख–रखाव संबंधित कमांड क्षेत्र के राजस्व ग्राम से चयनित व्यक्ति/संस्था/संगठन/समिति द्वारा कराये जाने के संबंध में।	12.	स्वीकृत।

वित्त विभाग

13.	भविष्य निधि निदेशालय एवं अधीनस्थ कार्यालय लिपिकीय संवर्ग 2015 के अनुसार पद बल निर्धारित करने एवं प्रधान लिपिक के 5 (पाँच) अतिरिक्त पदों के सृजन हेतु स्वीकृति के संबंध में।	13.	स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

14.	बिहार भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत अवर अभियंत्रण (विद्युत) संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली–2017 का गठन।	14.	स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

15.	राज्य योजनान्तर्गत राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया के भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल रू० 7,75,33,56,391/–(रूपये सात अरब पचहत्तर करोड़ तैंतीस लाख छप्पन हजार तीन सौ इक्यानवे) मात्र के प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त योजना के scope of work की तुलना में एम०सी०आई० की न्यूनतम आवश्यकताओं के आधार पर reduced scope of work अंतर्गत रू० 4,94,94,00,000/–(रूपये चार अरब चौरानवे करोड़ चौरानवे लाख) मात्र की लागत पर बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर कार्य कराने की स्वीकृति।	15.	स्वीकृत।

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

16.	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभागान्तर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों, राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक एवं राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, बिहार, पटना में लिपिकीय पदों पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त्तों के गठन हेतु विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2015 को संशोधित करते हुए उसके नियम–12 के 'नोट' को एतद् द्वारा विलोपित करने एवं नियम–13 में उल्लिखित शब्द एवं अंक "नियम–10 से 11" के स्थान पर उल्लिखित शब्द एवं अंक "नियम–11 से 12" द्वारा प्रतिस्थापित करने के संबंध में।	16.	स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

17.	मो० मंजर आलम, पूर्व पदस्थापित, महंथ रामजीदास शशिभूषण दास प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, घोड़साहन, पूर्वी चम्पारण, मो० एनुलहक खाँ, पूर्व पदस्थापित, चन्द्रप्रभा प्रोजेक्ट कन्या उच्च विद्यालय, पहाड़पुर, पूर्वी चम्पारण, मो० कासिम, पूर्व पदस्थापित, अब्दुल गफूर प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय, अमेठी, गोपालगंज एवं मो० ग्यासुद्दीन, पूर्व पदस्थापित, रामलाल सोनालाल परियोजना कन्या उच्च विद्यालय हरसिद्धि, पूर्वी चम्पारण को सेवा की मान्यता प्रदान करते हुए इन्हें परियोजना विद्यालयों के रिक्त पदों पर योगदान की तिथि से समायोजन करने के संबंध में।	17.	स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

18.	पटना जिला के बेलछी प्रखंड अंतर्गत सिकन्दरा ग्राम के पास महाने नदी पर निर्मित उच्च स्तरीय पुल का नामकरण "राम किशोर सेतु" करने के संबंध में।	18.	स्वीकृत।

ग्रामीण कार्य विभाग

19.	बिहार ग्रामीण पथ परियोजना के तहत मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना अन्तर्गत 27 Non-IAP जिलों में 250 से अधिक की आबादी वाले अनजुड़े टोलों/बसावटों को बारहमासी एकल सम्पर्कता प्रदान करने हेतु विश्व बैंक के International Development Association (IDA)/ International Bank for Re-construction and Development (IBRD) से Credit/Loan प्राप्त करने हेतु International Development Association (IDA)/International Bank for Re-construction and Development (IBRD) के साथ भारत सरकार द्वारा वित्तीय एकरारनामा करने तथा राज्य सरकार द्वारा परियोजना एकरारनामा (Project Agreement) के लिए सहमति के संबंध में।	19.	स्वीकृत।

सूचना एवं जन संपर्क विभाग

20.	सोशल मीडिया एवं नयी सूचना तकनीक के माध्यम से विभिन्न सामयिक एवं महत्त्वपूर्ण मुद्धो पर आम नागरिकों का मुड परसेप्शन एवं फीड बैक को जानने–समझने सरकार की योजनाओं/नीतियों/उपलब्धियों को सही रूप से प्रचार प्रसार करने हेतु मनोनयन के आधार पर तीन वर्षों के लिये Oracle Social Relationship Management (SRM) सॉफ्टवेयर के रू० 2,48,40,000/– (दो करोड़ अड़तालीस लाख चालीस हजार रूपये मात्र) पर क्रय एवं संचालन हेतु निविदा के माध्यम से एजेन्सी के चयन की स्वीकृति के संबंध में।	20.	स्वीकृत।

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

21.	राज्य में e-stamping की व्यवस्था लागू करने, स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (SHCIL) को e-stamping हेतु एजेन्सी के रूप में नामित करने एवं Central Record Keeping Agency का कार्य करने तथा e-collection system के माध्यम से विभिन्न प्रकार की शुल्क राशि प्राप्त करने एवं सरकारी कोष में जमा कराने की स्वीकृति।	21.	स्वीकृत।